संख्या- 5/2016/30/तीस-2-16-02(14)/08

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त,2016,

विषय:-उ0प्र0 परिवहन निगम के दिनांक-01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त राजकीय सुविधा प्राप्त पेंशनरों एवं निगम पेंशनरों की अविवाहित /विधवा/ तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1972(1)पे0से0/14-5625पे0से0/09, दिनांक-19.12.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-1665/10-2012-308/97,दिनांक-03.12.2012 के प्राविधानानुसार दिनांक-01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स तथा निगम पेंशनर्स (दिनांक-01.06.1972-से दिनांक-18.06.1981 तक नियुक्त कार्मिकों से संबंधित) के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने की अनुमति शासन से मॉगी गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ जिसमें पारिवारिक पेंशन भी सम्मिलित है, का भुगतान सरकारी पेंशनर्स के संबंध में जारी वित्त विभाग के शासनादेश सं0-सा-3-1508/10-2008-308/97, दिनांक-08.12.2008 तथा परिवहन विभाग के शासनादेश सं0-578/तीस-2-2011-02(14)/2008, दिनांक-20.07.2011 तथा शासनादेश सं0-1063/30-2-2013-02(14)/08, दिनांक-06.09.2013 के अनुसार किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान सरकारी पेंशनर्स के संबंध में जारी वित्त विभाग के शासनादेश सं0-सा-3-1665/10-2012-308/97,दिनांक-03.12.2012 सपठित शासनादेश सं0-6सा-3-227/ दस-2014-308/97,दिनांक-01.07.2014 के अनुसार अनुमन्य है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बंध में होने वाला समस्त वित्तीय व्यय-भार का वहन उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने श्रोतों से किया

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग की अशास0 संख्या- ई-9-226/दस-16,दिनांक-19.07.16 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2016/30(1)/तीस-2-16-02(14)/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन।
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक पेंशन, उ0प्र0 इन्दिरा भवन लखनऊ।
5. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।